

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

सं०सं०-01/स्था० (का०पदा०)-11/2018 ..... 5012 /न०वि० एवं आ०वि०। माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा वाद सं०-2/लोक (न०वि०)-12/09 में दिनांक-28.06.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में एवं श्री मनोज कुमार पवन (बि०प्र०से०), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेतिया का स्वास्थ्य कारणों से उनकी सेवा सामान्य प्रशासन विभाग को वापस करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में तात्कालिक प्रभाव से श्री पवन की सेवा उनके पैतृक (सामान्य प्रशासन) विभाग को वापस की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-  
(राम सेवक प्रसाद)  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-11/2018 ...../न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री मनोज कुमार पवन (बि०प्र०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेतिया/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-11/2018 ..... 5012 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-20/07/19

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को (वाद सं०-2/लोक (न०वि०) 12/2009) उनके पत्रांक-6922 दिनांक-19.07.19 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।